न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

उपस्थितः रणजीत कुमार, (एच0जे0एस0)
जे0ओ0 कोड–यू.पी. 6509

विशेष सत्र परीक्षण सं0–40/2004

CNR No. UPJP010000592004

उ0प्र0 राज्य..... ..... **.....अभियोगी**

बनाम

1. बद्री प्रसाद पुत्र परमेश्वर **(दौरान विचारण मृतक)**
2. अमृतलाल पुत्र रमाकान्त
निवासीगण सखवट, थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–सी–21/2003
धारा–323/34, 504, 506, 452 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–सुजानगंज, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. मु0अ0सं0 सी–21/2003, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 452, 448 भा0दं0सं0 एवं 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर के प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त बद्री प्रसाद के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र सं0 4/2003, दिनांकित 09.07.2003 एवं अभियुक्त अमृतलाल के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र सं0 4ए/2003, दिनांकित 27.07.2003 पर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त प्रकरण सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् विशेष सत्र परीक्षण सं0 40/2004, राज्य बनाम बद्री प्रसाद एवं अन्य में विचारण कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रामकली द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह जाति की हरिजन चमार महिला है, और घटना दिनांक 08.05.2000 समय करीब 2 बजे दोपहर की है, जब वह अपनी आबादी रहाईशी मड़हे में बैठी थी, तो गांव के ही बद्रीनाथ, शोभनाथ, केदारनाथ, अमृतलाल, रमाकान्त एवं चन्द्रमणि आबादी के विवाद को लेकर उसके घ ार में घुसकर उसको लात मुक्का से मारने लगे, जब वह चिल्लाई तो उसके गांव के जमींदार सिंह भूतपूर्व प्रधान, निरहू, उसके लड़के कैलाशनाथ व गांव के बहुत से लोग बीच बचाव

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.31 16:45:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किये, व छुड़ाये। उपरोक्त लोग जाते समय कहे कि साली चमाईन तुम्हारी चमरई निकाल देंगे व भद्दी–भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी दिये। घटना के दूसरे दिन उपरोक्त लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर लिये। उपरोक्त लोग जाति के ब्राह्मण है, जो बहुत ही दबंग व शातिर बदमाश किस्म के लोग है। उसको काफी चोटें आई, और फ्रैक्चर भी हो गया। जब उसने घटना की सूचना थानाध्यक्ष सुजानगंज को दिया, तो उन्होने कहा कि तुम पहले अपना डॉक्टरी मुआयना कराकर आओ तब तुम्हारी रपट लिखी जायेगी। तब उसने अपने लड़के को ले जाकर सरकारी अस्पताल मछलीशहर में अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया। फिर वह जब थाना गयी तो उसका डॉक्टरी मुआयना लेकर कहा कि जाओ तुम्हारी रपट लिख दी जायेगी, परन्तु जब वह दूसरे दिन थाने गयी तो उसका डॉक्टरी मुआयना वापस कर दिया और कहा कि भाग जाओ, तुम्हारी रपट नहीं लिखी जायेगी। जब उसने रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को दरखास्त दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3. वादिनी मुकदमा रामकली के उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने के उपरान्त विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 02.06.2000 द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया, जिस आदेश से क्षुब्ध होकर वादिनी मुकदमा की ओर से फौजदारी निगरानी योजित की गयी। निगरानी न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 6, जौनपुर द्वारा निगरानी पर सुनवाई करते हुए निर्णय/आदेश दिनांकित 06.06.2001 पारित किया गया, जिसके माध्यम से वादी मुकदमा/निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की गयी एवं प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.06.2000 अपास्त किया गया।

4. निगरानी न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांकित 06.06.2001 के अनुपालन में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के माध्यम से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार करते हुए प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने बावत आदेश पारित किया गया। न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में थाना सुजानगंज पर अभियुक्तगण बद्रीनाथ, शोभनाथ, केदारनाथ, अमृतलाल एवं चन्द्रमणि के विरूद्ध मु0अ0सं0 सी–21/2003 अंतर्गत धारा 147, 323, 325, 504, 506, 452, 448 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत हुआ।

5. प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा वादी व गवाहान के बयान लिये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण बद्रीप्रसाद एवं अमृतलाल के विरूद्ध धारा 323, 504, 506, 452, 448 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत पृथक–पृथक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये, जिन आरोप पत्रों पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

6. धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन के उपरान्त प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण दिनांक 20.03.2004 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया और सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् प्रकरण विशेष सत्र परीक्षण संख्या 40/2004 स्टेट बनाम बद्रीप्रसाद एवं अन्य के रूप में पंजीकृत हुआ।

7. न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2004 को अभियुक्तगण बद्री प्रसाद एवं अमृतलाल के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506, 452 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई।

8. दौरान विचारण अभियुक्त बद्री प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2020 को उसके विरूद्ध आपराधिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। वर्तमान में शेष अभियुक्त अमृतलाल का विचारण चल रहा है।

9. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

साक्षी क्रमांक	साक्षी नाम	साक्षी का विवरण
पी0डब्लू0–1	रामकली	तथ्य/चोटहिल साक्षी
पी0डब्लू0–2	कैलाशनाथ	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–3	कमल किशोर	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–4	वंशराज यादव	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–5	डॉ0 डी0 बी0 सिंह	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–6	कां0 रवि पासवान	औपचारिक साक्षी

10. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र साबित कराये गये हैं–

प्रदर्श– क्रमांक	विवरण	साबितकर्ता साक्षी
प्रदर्श क–1	पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित प्रार्थनापत्र	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–2	प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–3	इंजरी रिपोर्ट चोटहिल रामकली	पी0डब्लू0–4
प्रदर्श क–4	एक्स–रे रिपोर्ट	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श क–5	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श क–6	कायमी जी0डी0 कार्बन प्रति	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श–क–7	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श–क–8	आरोप पत्र विरूद्ध बद्रीप्रसाद	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श–क–9	आरोप पत्र विरूद्ध अमृतलाल	पी0डब्लू0–6

11. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित वस्तु प्रदर्श दाखिल किया गया है–

वस्तु प्रदर्श	विवरण	साबितकर्ता
वस्तु प्रदर्श–1	एक्सरे फिल्म	पी0डब्लू0–5

वस्तु प्रदर्श–2	एक्सरे फिल्म	पी0डब्लू0–5

12. दिनांक 28.03.2026 को अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को असत्य बताते हुए गलत रिपोर्ट होना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 1 व 2 द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 3 द्वारा सही बयान दिया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 4 लगायत 6 द्वारा गलत ढंग से प्रपत्रों को साबित किया जाना बताया, और मुकदमा रंजिशन चलना बताया, सफाई साक्ष्य दिया जाना बताया, और कहा कि गलत घटना दिखाकर फर्जी चोट का मेडिकल कराकर गलत मुकदमा उसके खिलाफ अंकित कराया है, और रंजिशन झूठे मुकदमें की गवाही दिया है।

13. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने हेतु अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

14. उक्त दायित्व निर्वहन के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित चोटहिल साक्षी/वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 रामकली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह जाति की चमार है, इस मुकदमें के मुल्जिमान शोभनाथ, बद्री, केदारनाथ, अमृतलाल व चन्द्रमणि जाति के पंडित हैं, और उसके ही गांव के रहने वाले हैं। आबादी की जमीन के कारण आपस में झगड़ा था। घटना के समय लगभग दो बजे दोपहर जब वह अपने रिहायशी मड़हे में बैठी थी तो मुल्जिमान शोभनाथ, बद्री, केदारनाथ, अमृतलाल व चन्द्रमणि उसके घर में घुसकर लाठी डण्डा लात मुक्का से मारने लगे। उसने शोर किया तो शोर पर जमींदार, निरहू व उसके लड़के कैलाशनाथ और गांव के रमेश दौड़कर आए, और उसकी जान बचाए। मुल्जिमान जाते समय धमकी दिये और कहे कि तुम्हारी चमरई निकाल देंगे, और जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित करते हुए चले गये। मुल्जिमान के मारने से उसको चोट आयी थी, और उसके हाथ की हड्डी टूट गयी थी। उसने थाना सुजानगंज पर दरखास्त दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकारी अस्पताल मछलीशहर में अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था। पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किया, तो पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। साक्षी ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को सम्बोधित टाईपशुदा प्रार्थनापत्र को देखकर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, और प्रदर्श क–01 के रूप में साबित किया। कोई कार्यवाही न होने पर उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 दिया था। साक्षी ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को देखकर अपने निशान अंगूठा की शिनाख्त किया और प्रदर्श क–02 के रूप में साबित किया।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 कैलाशनाथ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वादी मुकदमा रामकली उसकी माता है। दिनांक 08.05.2000 को दो बजे दोपहर की घटना है, उसकी मां अपने मड़हे में बैठी थी, कि बद्री, केदार, शोभनाथ, अमृतलाल, चन्द्रमणी घर में घुस आये और उसकी मां को लात मुक्का से मारने लगे, उनके शोर पर गांव के जमींदार सिंह, वह और उसके अलावा अन्य बहुत से लोग

दौडकर आए तो देखा कि उपरोक्त लोग उसकी मां को मार रहे थे। उपरोक्त सभी मुल्जिमान किसी तरीके से उसकी मां को, जो घर में घुसकर मार रहे थे, छोड़े और कहे कि साली चमाइन माधरचोद तुम्हे जान से मारकर खत्म कर देंगे। इस घटना के बावत उसकी मां ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर मुकदमा कायम हुआ था। मुकदमा कायम होने पर मुकदमा विवेचक ने उसका बयान लिया था। उसकी मां को मुल्जिमान द्वारा मारने से हाथ की हड्डी टूटी थी, तथा उनका डॉक्टरी मुआयना भी हुआ था।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–3 कमल किशोर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वादी मुकदमा रामकली को वह जानता है, वह उसके गांव की है। अभियुक्तगण बद्री, केदार, अमृतलाल, चन्द्रमणी भी उसके गांव के हैं, उनको भी वह भली–भांति जानता पहचानता है। अभियुक्त बद्रनाथ की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 08.05.2000 को 2 बजे दिन में मुल्जिमान ने रामकली को मारपीट कर कोई चोट पहुंचायी थी कि नहीं, वह नहीं जानता, न तो उसने देखा है, और न ही उसने सुना। उसने मुल्जिमान को रामकली को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए न हीं सुना है, न देखा है। उसने यह भी नहीं देखा था कि मुल्जिमान रामकली के घर में घुसकर उनके साथ कोई मारपीट किया था या नहीं। मुल्जिमान द्वारा जातिसूचक शब्दों की गाली गुप्ता देकर अपमानित करते हुए न तो उसने सुना है, न देखा है। वह घटनास्थल पर बरवक्त न तो गया था, न ही कोई बीच बचाव किया था। इस घटना के सम्बन्ध में सी0ओ0 ने कोई बयान नहीं लिया था।

17. इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि उसका घर रामकली के घर से काफी दूरी पर है। दोनों लोगों के धर के बीच में बहुत से लोगों का मकान है। दिनांक 08.05.2000 को दिन में 2 बजे वह अपने घर पर नहीं था। कहां गया था, यह याद नहीं है। घर आने पर रामकली से बद्रीनाथ वगैरह से किसी विवाद के विषय में भी उसे कोई जानकारी नही है। रामकली ने उसका नाम गवाहान सूची में कैसे लिख दिया, इसकी वह कोई वजह नहीं बता सकता। घ ाटना न देखने व बीच बचाव न करने के कारण वह अपना सही बयान दे रहा है। अभियोजन द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने कहा कि यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से मिल गया हूं, और उनसे नफा नाजायज लेकर न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।

18. इस प्रकार उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–3 की सम्पूर्ण परीक्षा में आए कथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि साक्षी कथनानुसार दिनांक 08. 05.2000 को 2 बजे दिन में मुल्जिमान ने रामकली को मारपीट कर कोई चोट पहुंचायी थी कि नहीं, वह नहीं जानता, न तो उसने देखा है, और न ही उसने सुना। उसने मुल्जिमान को रामकली को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए न हीं सुना है, न देखा है। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल के साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी होने से इंकार कर दिया है, और स्वयं को घटनास्थल पर अनुपस्थित रहना बताया है। अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया

गया है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–4 वंशराज यादव, फार्मासिस्ट ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.05.2000 को चोटहिल रामकली ने अपने लड़के कैलाशनाथ के साथ पी0एच0सी0 मछलीशहर पर अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था। दिनांक 10.05.2000 को पी0एच0सी0 मछलीशहर पर डॉ0 अशोक प्रियदर्शी उस समय कार्यरत थे, उन्होने 09.30 ए0एम0 पर चोटहिल रामकली के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया था। मेडिकल रिपोर्ट तैयार करते समय उन्होने चोटहिल रामकली के शरीर पर कुल 4 चोटें आने का उल्लेख अपनी मूल आघात आख्या में किया है, तथा मूल आघात आख्या पर अपना हस्ताक्षर बनाते हुए 10.05.2000 की तारीख अंकित किया है। साक्षी अपने साथ स्वास्थ्य केन्द्र मछलीशहर से आघात आख्या रजिस्टर क्रमांक 52 लाया है, जिस पर चिकित्साधिकारी ने प्रमाणित करते हुए अपना लघु हस्ताक्षर व दिनांक अंकित किया है, जिसमें पृष्ठांकन किया है। इस पंजिका में कुल 156 पेज हैं, जो क्रमांक 1 से 156 तक अंकित हैं। इस रजिस्टर के पृष्ठ सं0 155 पर चोटहिल रामकली की आघात आख्या की कार्बन कापी संलग्न है, जिस पर अशोक प्रियदर्शी के हस्ताक्षर व दिनांक 10.05.2000 अंकित है, तथा चोटहिल रामकली के निशान अंगूठा को भी प्रमाणित किया है। साक्षी ने आघात आख्या शामिल पत्रावली को देखकर चिकित्सक अशोक प्रियदर्शी के हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और प्रदर्श–क–3 के रूप में साबित किया।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–5 डॉ0 डी0 बी0 सिंह, रेडियोलॉजिस्ट ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.05.2000 को वह जिला चिकित्सालय जौनपुर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने चोटहिल रामकली के चेहरे का तथा बायें कलाई का एक्स–रे किया था, और एक्सरे प्लेट पर क्रमशः 868 व 869 डाला था। एक्स–रे के अनुसार चोटहिल के चेहरे पर कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया था। बायीं कलाई के एक्सरे में बायें रेडियस का निचली भाग गलत तरीके से फ्रैक्चर के बाद जुडा हुआ पाया गया था। असल एक्स–रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली को देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया एवं प्रदर्श–क–4 के रूप में साबित किया तथा एक्सरे प्लेट को वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में साबित किया।

21. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–6 रवि पासवान, कांस्टेबल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वादिनी मुकदमा रामकली के द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 न्यायालय में दिये जाने पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.05.2000 से मुअ0सं0 सी–21/2003 अंतर्गत धारा 147, 323, 325, 504, 506, 452, 448 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तगण बद्रीनाथ, केदारनाथ, शोभनाथ, अमृतलाल एवं चन्द्रमणी के विरूद्ध तत्कालीन हेड कां0 सुमन्त राय द्वारा लिखा गया था। एफ0आई0आर0 पर एफ0आई0आर0 लेखक का नाम व दिनांक 11.06.2003 अंकित है, तथा इसका उल्लेख थाने के अपराध रजिस्टर में होने के आधार पर साक्षी ने इसकी सत्यता की पुष्टि की। जो एफ0आई0आर0 सुमन्त राय द्वारा लिखा गया था, वह न्यायालय के आदेश से लिखा गया था, जो पूर्ण रूप से सत्य है। उक्त मु0अ0सं0 से संबंधित

जी0डी0 भी तत्कालीन हेड कां0 सुमन्त द्वारा तैयार किया गया था। साक्षी ने एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 को देखकर कां0 सुमन्त के लघु हस्ताक्षर की शिनाख्त किया एवं क्रमशः प्रदर्श–क–5 व प्रदर्श–क–6 के रूप में साबित किया। उक्त अपराध की विवेचना क्षेत्राधिकारी शमशुज्जम द्वारा किया गया है, जिस अनुक्रम में उन्होने घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया और बाद विवेचना अभियुक्त बद्री प्रसाद के विरूद्ध तथा अभियुक्त अमृतलाल के विरूद्ध पृथक–पृथक आरोप पत्र प्रेषित किये। साक्षी ने नक्शा नजरी एवं आरोप पत्रों को देखकर तत्कालीन सी0ओ0 शमशुज्जमा के लघु हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और क्रमशः प्रदर्श–क–7, प्रदर्श–क–8 व प्रदर्श–क–9 के रूप में साबित किया।

22. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

23. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित है कि अभियुक्त अमृतलाल ने सहअभियुक्त बद्रीप्रसाद(दौरान विचारण मृतक) के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा रामकली को लात मुक्का से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया है एवं घर में घुसकर गृह अतिचार भी कारित किया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया जाना तथा अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा का अपमान करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर साशय अपमानित किया जाना भी स्थापित है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध विरचित समस्त आरोप साबित होने के दृष्टिगत उसे दोषसिद्ध किया जावे।

24. उक्त के विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप कतई साबित नहीं होता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उसके मात्र अनुसूचित जाति का होने के आधार पर अपमानित किया गया है, जिस तथ्य के दृष्टिगत अभियुक्त के विरूद्ध कतई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध साबित नहीं माना जा सकता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं, जिस कारण कोई भी साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर परीक्षित स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया गया है, जिस तथ्य के दृष्टिगत भी अभियोजन कथानक पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय न होने के दृष्टिगत समस्त अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

<u>निष्कर्ष</u>

25. प्रस्तुत सत्र परीक्षण के निर्णयन हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दुओं पर निष्कर्ष दिया जाना है–

(i) क्या अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त बद्री प्रसाद(दौरान विचारण मृतक) के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा रामकली को लात मुक्का से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई?

(ii) क्या अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर उपहति एवं हमला करने की तैयारी के साथ वादिनी मुकदमा के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया गया?

(iii) क्या अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गाली देकर प्रकोपित किया गया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया?

(iv) क्या अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, का अपमान करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर साशय अपमानित किया गया?

अवधार्य बिन्दु सं0 (i) व (ii) का निस्तारण–

26. अवधार्य बिन्दु सं0 (i), (ii) का निस्तारण सुविधा के दृष्टिकोण से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से एक साथ किया जा रहा है।

27. उक्त अवधार्य बिन्दु अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त बद्री प्रसाद(दौरान विचारण मृतक) के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा रामकली को लात मुक्का से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने तथा गृह अतिचार कारित किये जाने के संबंध में है।

28. इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में यह तथ्य आया है कि घटना दिनांक 08.05.2000 समय करीब 2 बजे दोपहर की है, जब वह अपनी आबादी रहाईशी मड़हे में बैठी थी, तो गांव के ही बद्रीनाथ, शोभनाथ, केदारनाथ, अमृतलाल, रमाकान्त एवं चन्द्रमणि आबादी के विवाद को लेकर उसके घर में घुसकर उसको लात मुक्का से मारने लगे, उसको काफी चोटें आई, और फ्रैक्चर भी हो गया।

29. इस सम्बन्ध में चोटहिल साक्षी/वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 रामकली द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के समय लगभग दो बजे दोपहर जब वह अपने रिहायशी मड़हे में बैठी थी तो मुल्जिमान शोभनाथ, बद्री, केदारनाथ, अमृतलाल व चन्द्रमणि उसके घर में घुसकर लाठी डण्डा लात मुक्का से मारने लगे। यह भी कहा है कि मुल्जिमान के मारने से उसको चोट आयी थी, और उसके हाथ की हड्डी टूट गयी थी। सरकारी अस्पताल मछलीशहर में अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कहा है कि मुल्जिमान उसे आधा घण्टा तक मारे थे, उसे बाएं हाथ में मारे थे। हड्डी टूट गयी थी। दाएं हाथ में सूजन आ गयी थी। मुल्जिमान के मारने से बेहोश हो गयी थी।

30. वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 चोटहिल साक्षी है। चोटहिल साक्षी के सम्बन्ध में विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य का विशेष महत्व होता है और सामान्यतः चोटहिल के कथन बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति निश्चित है। इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **उ0प्र0 राज्य बनाम नरेश एवं अन्य 2011**

(2) ए0सी0आर0 1190 (एस0सी0) उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि चोटग्रस्त साक्षी के साक्ष्य को सम्यक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक मुद्रांकित गवाह है और उसकी उपस्थित संदिग्ध नहीं मानी जा सकती। ऐसे साक्षी का कथन आमतौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, और यह असंभाव्य है कि किसी और को फंसाने के लिए उसने वास्तविक आक्रमणकारी को बख्श दिया है। चोटहिल साक्षी के अभिसाक्ष्य की अपनी प्रासंगिकता होती है, अपना प्रभाव होता है, क्योंकि उसे घटनास्थल पर घटना के समय चोटें आई हैं, जो उसके इस कथन का समर्थन करता है कि वह घटना के समय मौजूद था। इसलिए चोटहिल साक्षी के अभिसाक्ष्य का कानून में एक विशेष दर्जा है, अतः चोटहिल साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा करना चाहिए, जब तक कि तात्विक विरोधाभास एवं विसंगतियों के आधार पर उसका साक्ष्य अस्वीकार योग्य न हो।

31. वादी मुकदमा/चोटहिल पी0डब्लू0–1 ने अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा उसको घर में घुसकर लात मुक्का से मारा–पीटा जाना कहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है चोटहिल साक्षी के सम्बन्ध में विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि ऐसे साक्षी मुद्रांकित साक्षी होते हैं, जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित मानी जाती है। वर्तमान मामले में भी वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित है। साक्षी के कथनानुसार अभियुक्तगण उसके गांव के हैं, और अभियुक्तगण को साक्षी पूर्व से ही भली–भाँति जानती है, ऐसे में अभियुक्तगण की पहचान भी सुनिश्चित है।

32. इस सम्बन्ध में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 कैलाशनाथ द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा रामकली उसकी माता है। दिनांक 08.05.2000 को दो बजे दोपहर की घटना है, उसकी मां अपने मड़हे में बैठी थी, कि बद्री, केदार, शोभनाथ, अमृतलाल, चन्द्रमणी घर में घुस आये और उसकी मां को लात मुक्का से मारने लगे, उनके शोर पर गांव के जमींदार सिंह, वह और उसके अलावा अन्य बहुत से लोग दौडकर आए तो देखा कि उपरोक्त लोग उसकी मां को मार रहे थे। यह भी कहा है कि उसकी मां को मुल्जिमान द्वारा मारने से हाथ की हड्डी टूटी थी, तथा उनका डॉक्टरी मुआयना भी हुआ था।

33. इस प्रकार उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 द्वारा अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा उसकी मां के साथ घर में घुसकर मार–पीट किये जाने का कथन किया है। यह साक्षी पूर्णरूपेण विश्वसनीय साक्षी है, और इस साक्षी ने अभियोजन कथानक के समर्थन में बयान दिया है। इस प्रकार इस साक्षी के पूर्णरूपेण विश्वसनीय साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक संपुष्ट होता है।

35. पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिल की आघात आख्या अनुसार चोटहिल रामकली के शरीर पर कुल 4 चोटें होने का उल्लेख है, जिसमें तीन चोटें कन्ट्यूजन एवं एक दर्द की शिकायत है। आघात आख्या अनुसार चोटहिल का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 10.05.2000 को समय 9.30 ए0एम0 पर किया गया है, तथा चिकित्सक की राय में चोटों की अवधि दो दिवस पुरानी होना कहा गया है। चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू–4 वंशराज यादव, फार्मासिस्ट द्वारा उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श–क–3 के रूप में साबित किया गया है।

36. इस प्रकार चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट अनुसार वादिनी मुकदमा/चोटहिल रामकली को कुल 4 चोटें होना उल्लिखित हैं। चोटहिल का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 10.05.2000 को अर्थात् घटना दिनांक 08.05.2000 के ही दो दिवस पश्चात् किया गया है, जिसमें चोटों की अवधि दो दिन की बतायी गयी है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि घटना के समय वादिनी मुकदमा के शरीर पर चोटें कारित की गयी हैं, जिससे अभियोजन कथानक सम्पुष्ट होता है।

37. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के चोटहिल साक्षी वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 द्वारा अपने सशपथ बयान में वर्तमान विचारणाधीन अभियुक्त द्वारा उसे लात मुक्का से मार–पीट कर उपहति कारित जाने का कथन किया गया है। उक्त आशय के कथन घटना के समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 कैलाशनाथ द्वारा भी अपने बयान में किये गये हैं, जिससे भी अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता है, तथा यह स्थापित होता है कि अभियुक्त द्वारा की गयी मार–पीट से चोटहिल/वादिनी मुकदमा को चोटें आई हैं। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने बयानों में किये गये कथनों की पुष्टि इंजरी रिपोर्ट से भी होती है, तथा यह स्थापित होता है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त(दौरान विचारण मृतक) के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के साथ की गयी मार–पीट से ही चोटहिल को चोटें आई हैं।

38. जहां तक धारा 452 भा0दं0सं0 का प्रश्न है, धारा 452 भा0दं0सं0 गृह–अतिचार के सम्बन्ध में धारा 442 भा0दं0सं0 यह प्राविधानित करता है कि–

442. गृह–अतिचार– जो कोई किसी निर्माण, तम्बू, या जलयान में, जो मानव–निवास के रूप में उपयोग में आता है, या किसी निर्माण में, जो उपासना–स्थान के रूप में, या किसी सम्पत्ति अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर, आपराधिक अतिचार करता है, वह ''गृह–अतिचार'' करता है, यह कहा जाता है।

39. उक्त के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर में अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर मार–पीट करने का तथ्य आया है, तथा न्यायालय समक्ष परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि घटना के समय लगभग दो बजे दोपहर जब वह अपने रिहायशी मड़हे में बैठी थी तो मुल्जिमान शोभनाथ, बद्री, केदारनाथ, अमृतलाल व चन्द्रमणि उसके घर में घुसकर लाठी डण्डा लात मुक्का से मारने लगे। उक्त आशय के कथन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 द्वारा भी किये गये हैं। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से वर्तमान विचारणाधीन अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त(मृतक) के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा पर हमला एवं उपहति करने के आशय से उसके घर में घुसकर गृह अतिचार कारित किया जाना साबित होता है।

40. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि साक्षीगण के बयानों में काफी विरोधाभास हैं, घटना के सम्बन्ध में उनके द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर कथन किया गया है, जिस कारण अभियोजन साक्षीगण विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं, और अविश्वसनीय साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर घ ाटना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और घटना संदेहास्पद हो जाती है। बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है, क्योंकि साक्षी के कथनों में मामूली विरोधाभास स्वाभाविक है। जब घटना के काफी समय पश्चात् साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित होता है, जैसा कि

वर्तमान मामले में हुआ है, तब न तो यह अप्राकृतिक है और न ही अप्रत्याशित है कि अभियोजन साक्षी के कथनों में मामूली अंतर आ सकते हैं।

41. उक्त के सन्दर्भ में **विधि निर्णय रमेश बनाम उ0प्र0 राज्य (2009) 15 एस0सी0सी0 513** सुसंगत है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन साक्षी के अभिसाक्ष्य में मामूली विरोधाभास होंगे ही, और वास्तव में ऐसे विरोधाभास साक्षी की सत्यवादिता का समर्थन करते हैं।

42. इसी प्रकार एक अन्य विधि निर्णय **उ0प्र0 राज्य बनाम नरेश एवं अन्य 2011 (2) ए0सी0आर0 1190 (एस0सी0)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि सभी आपराधिक मामलों में साक्षी के प्रेक्षण में साधारण त्रुटियों, अर्थात् समय व्यतीत होने के कारण याददाश्त में त्रुटि अथवा घटना के समय सदमा अथवा आतंक की मनोस्थिति के कारण साक्षी के साक्ष्य में साधारण विसंगतियाँ होंगी ही।

43. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत चोटहिल साक्षीगण के बयानों में सूक्ष्म विरोधाभास होने मात्र के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त चोटहिल साक्षीगण के साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, जो भी विरोधभास हैं, वे बहुत ही मामूली एवं सूक्ष्म प्रकृति के हैं, जिससे चोटहिल साक्षीगण की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह उत्पन्न नहीं होता है।

44. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में मात्र वादिनी मुकदमा एवं उसके लड़के द्वारा ही अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बयान दिया गया है, जबकि अभियोजन की ओर से ही परीक्षित प्रत्यक्षदर्शी/स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जिस तथ्य के दृष्टिगत भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है। बचाव पक्ष के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है क्योंकि यह स्थापित विधि है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–1 एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 के पूर्णरूपेण विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ मार–पीट किया जाना स्थापित हुआ है। चोटहिल की आघात आख्या से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि हुई है। ऐसे में प्रत्यक्षदर्शी/स्वतंत्र साक्षी के अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने से अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

45. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अभियुक्त अमृतलाल द्वारा सहअभियुक्त बद्री प्रसाद(दौरान विचारण मृतक) के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा को लात मुक्का से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा गृह अतिचार कारित करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियुक्त अमृतलाल के विरूद्ध धारा 323/34, 452 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (i) एवं (ii) निस्तारित किये जाते हैं।

<u>अवधार्य बिन्दु सं0 (iii) का निस्तारण–</u>

46. यह अवधार्य बिन्दु अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर प्रकोपित किये जाने एवं भयाक्रान्त करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में है।

47. जहां तक अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504 व 506 भा0दं0सं0 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रदर्श–क–1 में यह तथ्य आया है कि घटना के समय जब वह अपनी आबादी रहाईशी मड़हे में बैठी थी, तो गांव के ही बद्रीनाथ, शोभनाथ, केदारनाथ, अमृतलाल, रमाकान्त एवं चन्द्रमणि आबादी के विवाद को लेकर उसके घर में घुसकर उसको लात मुक्का से मारने लगे, जब वह चिल्लाई तो उसके गांव के जमींदार सिंह भूतपूर्व प्रधान, निरहू, उसके लड़के कैलाशनाथ व गांव के बहुत से लोग बीच बचाव किये, व छुड़ाये। उपरोक्त लोग जाते समय कहे कि साली चमाईन तुम्हारी चमरई निकाल देंगे व भद्दी–भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी दिये।

48. इस सन्दर्भ में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के समय लगभग दो बजे दोपहर जब वह अपने रिहायशी मड़हे में बैठी थी तो मुल्जिमान शोभनाथ, बद्री, केदारनाथ, अमृतलाल व चन्द्रमणि उसके घर में घुसकर लाठी डण्डा लात मुक्का से मारने लगे। मुल्जिमान जाते समय धमकी दिये और कहे कि तुम्हारी चमरई निकाल देंगे, और जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित करते हुए चले गये।

49. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी पी0डब्लू0–2 ने यह कथन किया है कि दिनांक 08.05.2000 को दो बजे दोपहर की घटना है, उसकी मां अपने मड़हे में बैठी थी, कि बद्री, केदार, शोभनाथ, अमृतलाल, चन्द्रमणी घर में घुस आये और उसकी मां को लात मुक्का से मारने लगे। उनके शोर पर गांव के जमींदार सिंह, वह और उसके अलावा अन्य बहुत से लोग दौडकर आए तो देखा कि उपरोक्त लोग उसकी मां को मार रहे थे। उपरोक्त सभी मुल्जिमान किसी तरीके से उसकी मां को, जो घर में घुसकर मार रहे थे, छोड़े और कहे कि साली चमाइन माधरचोद तुम्हे जान से मारकर खत्म कर देंगे।

50. धारा 504 भा0दं0सं0 का अपराध गठित होने के लिये अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करना व तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभावित जानते हुये प्रकोपित करना आवश्यक है कि ऐसे प्रकोपन से वह व्यक्ति लोकशांति भंग अथवा कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

51. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं आया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को प्रकोपित करने के आशय से गालियां दी गयी हों। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त द्वारा साशय वादिनी मुकदमा को अपमानित किया गया और तद्द्वारा उसे इस आशय से यह संभावित जानते हुये प्रकोपित किया गया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति भंग अथवा कोई अन्य अपराध कारित करेगी।

52. इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **CRIMINAL APPEAL No.- 1031 of 2000 Ram Lakhan & Another Vs. State of U.P.**, निर्णय दिनांकित 04.04.2017 सुसंगत है, जिस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Section 504 IPC comprises of the following ingredients,

viz., (a) intentional insult, (b) the insult must be such as to give provocation to the person insulted, and (c) the accused must intend or know that such provocation would cause another to break the public peace or to commit any other offence. The intentional insult must be of such a degree that should provoke a person to break the public peace or to commit any other offence. The person who intentionally insults intending or knowing it to be likely that it will give provocation to any other person and such provocation will cause to break the public peace or to commit any other offence, in such a situation, the ingredients of Section 504 are satisfied. One of the essential elements constituting the offence is that there should have been an act or conduct amounting to intentional insult and the mere fact that the accused abused the complainant, as such, is not sufficient by itself to warrant a conviction under Section 504 I.P.C.

53. विधि निर्णय **Fiona Shrikhande Vs. State of Maharashtra and Anr. (2013) 14 SCC 44** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है।

54. इसी प्रकार अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 506 भा0दं0सं0 के लिये यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया है। आपराधिक अभित्रास की परिभाषा भा0दं0सं0 की धारा 503 में दी गयी है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाये या उसे ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोक कराया जाये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। इस प्रकार आपराधिक अभित्रास की परिभाषा के अन्तर्गत धमकी इस आशय से दी जानी चाहिये कि वह पीड़ित को कोई कार्य करने, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य को न करने, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, की चेतावनी दे। चेतावनी के आशय के बिना केवल धमकी दिया जाना आपराधिक अभित्रास के गठन के लिये पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा इस आशय का कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा दी जाने वाली धमकी से वादिनी मुकदमा को कोई संत्रास कारित हुआ। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

55. इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **Manik Taneja and another vs. State of Karnataka and another 2015 AIR SCW 948** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि It is the intention of the accused that has to be considered in deciding as to whether what he has stated comes within the meaning of criminal intimidation. The threat must be with intention to cause alarm to the complainant to cause that person to do or omit to do any work. Mere expression of any words

without any intention to cause alarm would not be sufficient to bring in the application of this section.

56. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में वर्तमान विचारणाधीन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 504 व 506 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (iii) निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु सं0</u> (iv) **<u>का निस्तारण–</u>**

57. यह अवधार्य बिन्दु अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, का अपमान करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर साशय अपमानित किये जाने के संबंध में है।

58. इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि वह जाति की हरिजन चमार महिला है, और घटना दिनांक 08.05.2000 समय करीब 2 बजे दोपहर की है, जब वह अपनी आबादी रहाईशी मड़हे में बैठी थी, तो गांव के ही बद्रीनाथ, शोभनाथ, केदारनाथ, अमृतलाल, रमाकान्त एवं चन्द्रमणि आबादी के विवाद को लेकर उसके घर में घुसकर उसको लात मुक्का से मारने लगे। उपरोक्त लोग जाते समय कहे कि साली चमाईन तुम्हारी चमरई निकाल देंगे व भद्दी–भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी दिये। उपरोक्त लोग जाति के ब्राह्मण है, जो बहुत ही दबंग व शातिर बदमाश किस्म के लोग है।

59. इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह जाति की चमार है, इस मुकदमें के मुल्जिमान शोभनाथ, बद्री, केदारनाथ, अमृतलाल व चन्द्रमणि जाति के पंडित हैं, और उसके ही गांव के रहने वाले हैं। आबादी की जमीन के कारण आपस में झगड़ा था। घटना के समय लगभग दो बजे दोपहर जब वह अपने रिहायशी मड़हे में बैठी थी तो मुल्जिमान शोभनाथ, बद्री, केदारनाथ, अमृतलाल व चन्द्रमणि उसके घर में घुसकर लाठी डण्डा लात मुक्का से मारने लगे। मुल्जिमान जाते समय धमकी दिये और कहे कि तुम्हारी चमरई निकाल देंगे, और जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित करते हुए चले गये।

60. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा रामकली उसकी माता है। दिनांक 08.05.2000 को दो बजे दोपहर की घ ाटना है, उसकी मां अपने मड़हे में बैठी थी, कि बद्री, केदार, शोभनाथ, अमृतलाल, चन्द्रमणी घ ार में घुस आये और उसकी मां को लात मुक्का से मारने लगे। उपरोक्त सभी मुल्जिमान किसी तरीके से उसकी मां को, जो घर में घुसकर मार रहे थे, छोड़े और कहे कि साली चमाइन माधरचोद तुम्हे जान से मारकर खत्म कर देंगे। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कहा है कि मुल्जिम अमृतलाल से उसका आबादी का विवाद है, और सिविल का मुकदमा चल रहा था, जो खारिज हो गया।

61. विधि निर्णय **हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड और अन्य, (2020) 10 एस0सी0सी0 710** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि

इस धारा के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता कि पीड़ित/सूचनादाता अनुसूचित जाति का सदस्य है, जब तक कि अभियुक्त का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का इस कारण से कोई इरादा नहीं है कि पीड़ित ऐसी जाति का है।

62. माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Pappu Singh Vs State of U.P. [2002(1)JIC 1218(All)]** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"Chamariya- Use of word- Mere addressing the complainant with the said word. No offence made out simply addressing a person by his caste without any intention to insult or intimidate him."

63. प्रस्तुत प्रकरण अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू0–1 एवं पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य से हालांकि अभियुक्त द्वारा किसी न किसी प्रकार से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना दर्शित होता है, परन्तु साक्षीगण के साक्ष्य से कतई यह प्रकट नहीं होता है कि वादिनी मुकदमा के अनुसूचित जाति का सदस्य होने मात्र के आधार पर उसके विरूद्ध घटना कारित की गयी है, और उसको अपमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित किया गया हो। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि वादिनी मुकदमा एवं मुल्जिमानों के मध्य आबादी को लेकर कथित घटना घटित हुई है, और अभियोजन साक्षीगण द्वारा स्वयं अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि आबादी की जमीन के बावत हम लोगों में आपस में झगड़ा था। प्रस्तुत प्रकरण में घटना के केन्द्र में आबादी का विवाद है, और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य नहीं होती, तो उसके साथ घटना कारित नहीं की जाती।

64. ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम स्थापित नहीं होता है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (iv) निस्तारित किया जाता है।

65. उपरोक्त विवेचन के पश्चात् न्यायालय के मत में अभियुक्त अमृतलाल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 452 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। तदनुसार अभियुक्त आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 452 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

66. अभियुक्त अमृतलाल पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। तदनुसार अभियुक्त आरोप अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष सत्र परीक्षण सं0 40/2004, मु0अ0सं0 सी–21/2003, थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर के मामले में अभियुक्त अमृतलाल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323/34, 452 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त अमृतलाल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें व व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं व प्रतिभूजन को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली बाद लंच पेश हो।

<u>दिनांक–31.03.2026</u>

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।

बाद लंच–

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। दोषसिद्ध अमृतलाल न्यायिक अभिरक्षा में अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय समक्ष उपस्थित है। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

इस स्तर पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि अभियुक्त को मात्र धारा 323/34, 452 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। उसके द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्ध को पूर्व में किसी मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। प्रकरण अति प्राचीन है और दोषसिद्ध विगत दो दशकों से भी अधिक समय से मामले के विचारण हेतु न्यायालय में उपस्थित आता रहा है। दोषसिद्ध विकलांग, वृद्ध एवं अत्यन्त गरीब व्यक्ति है, अतः दोषसिद्ध को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि दोषसिद्ध को धारा 323/34, 452 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध को संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार सजा दिए जाने पर बल दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले के तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, मामले की अति प्राचीनता तथा अभियुक्त की ओर से किये गये कथनों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध को इस प्रकरण में कारागार में बिताई गई अवधि व अर्थदण्ड से निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

विशेष सत्र परीक्षण सं0 40/2004, राज्य बनाम बद्री प्रसाद एवं अन्य, थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर के प्रकरण में दोषसिद्ध अमृतलाल को आरोप अंतर्गत धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अपराध में मु0 1,000/–रूपये(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में दोषसिद्ध एक माह का कारावास भुगतेगा।

दोषसिद्ध को आरोप अंतर्गत धारा 452 भा0दं0सं0 के अपराध में इस प्रकरण में कारागार में बिताई गयी अवधि एवं मु0 4,000/–रूपये(चार हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में दोषसिद्ध एक माह का कारावास भुगतेगा।

निर्णय की एक निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान की जाये।

दिनांक–31.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–31.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509